(110)

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 390] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई 2022—आषाढ़ 31, शक 1944

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2022

क्र. एफ–15–52–2002– दस-2.—वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 15–16–75–दस–2, दिनांक 21 मई 1981 तथा अधिसूचना क्रमांक एफ–15–22–99–दस-2, दिनांक 9 अप्रैल 1999 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, करैरा अभयारण्य के 202.21 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित क्षेत्र को अभयारण्य बने रहने से प्रविरत करती है.

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2022

क्र. एफ–15–52–2002–दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–15–52–2002–दस-2, दिनांक 22 जुलाई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

Bhopal, the 22nd July 2022

No.F 15-52-2002-X-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972) and in supersession of this department's Notification No. 15-16-75-X-2, dated 21st May, 1981 and No. F-15-22-99-X-2, dated 9th April, 1999, the State Government, hereby, ceases to be the notified area 202.21 Sq. km. of the Karera Sanctuary from being a Sanctuary.

2. This notification shall come into force from the date of its publicaton in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PADMAPRIYA BALAKRISHNAN, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.

Annexure

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल.

भोपाल, दिनांक [illegible] 99

अधिसूचना

क्रमांक एफ-15/22/99/10-2 : राज्य शासन इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15/16/75/10-2 दिनांक 21 मई 1981 को गठित सोनचिड़िया (हुकना) (दि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) अभयारण्य करेरा का नाम बदल कर केवल "करेरा अभयारण्य" किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(पी० ए० किन्हालकर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल.

12

वन विभाग

भोपाल, दिनांक 21 मई 1981

क्र. 15-16-75-दस-2.—वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53 सन् 1972) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन नीचे परिशिष्ट में दर्शाये गये क्षेत्र को हुकना (सोन चिरैया) (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड), तथा वन्य प्राणियों के लिये अभयारण्य घोषित करता है:—

परिशिष्ट

जिला—शिवपुरी

वन मंडल—शिवपुरी

रेंज का नाम—करेरा

अभयारण्य का नाम— सोन चिरैया (हुकना) (दि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) अभ्यारण्य, करेरा.

क्षेत्र का रकबा— 202.21 वर्ग किलोमीटर या 20221.042 हेक्टेयर.

सीमा

उत्तर.—राजस्व ग्राम-रामपहाड़ी सुनारी, भैंसा एवं दोनों की सीमा.

पूर्व.—महुअर नदी.

दक्षिण.—राजस्व ग्राम-लंगुरी, हाजीनगर की सीमा एवं महुअर नदी.

पश्चिम.—राजस्व ग्राम-कुठोली, गधाई, करही नैनागिर, बरौआ, एवं बहगवा की सीमा एवं सिंध नदी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. जे. ओक, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 मई 1981

क्र. 15-16-75-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 15-16-75-दस-2, दिनांक 21 मई 1981 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. जे. ओक, उपसचिव.

Bhopal, the 21st May 1981

No. 15-16-75-X-2.—In exercise of the powers conferred by section 18 (1) of the Wild Life Protection Act, 1972 (No. 53 of 1972), the Madhya Pradesh Government hereby declare the area specified in schedule below as game sanctuary under the Act for the Great Indian Bustard and other Wild Life in the said sanctuary :—

SCHEDULE

District—Shivpuri

Name of Division—Shivpuri

Name of Range—Karera

Name of sanctuary—Great Indian Bustard Sanctuary Karera

Area—202.21 sq. km. or 20221.042 Hectares

Boundaries

North—Boundary of Revenue village Ram-Pahari, Sunari, Bhensa and Doni.

East.—Mahwar river.

South.—Boundary of Revenue village Languri Hajinagar and Mahwar river.

West.—Boundary of Revenue village Khutili Gadhai, Karahi, Nainagiri, Baraua Behgawa and Sindh river.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. J. OKA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 21 मई 1981

क्र. 15-16-75-दस-2.—वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53 सन् 1972) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन नीचे परिशिष्ट में दर्शाये गये को हुकना (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) तथा अन्य पशु पक्षियों के लिए अभ्यारण्य घोषित करता है:—

परिशिष्ट

जिला—ग्वालियर

वन मंडल का नाम—ग्वालियर

अभ्यारण्य का नाम— घाटीगांव हुकना पक्षी अभ्यारण्य

क्षेत्र का रकबा— : 512 वर्ग किलोमीटर

आरक्षित वन— : 307.49 वर्ग कि. मी.

रक्षित वन— : 19.84 वर्ग कि. मी.